



Doon University, Dehradun

Point No. 2: Information about Construction Projects/Infrastructure Construction

1- Name of the Project, Location, Estimated cost.

Project Name- Construction of Doon University,
Location- Mothrowala Road, Kedarpur, Dehradun
Sanctioned Cost- Buildings, Service works and Campus Development - Rs 10649.79 Lakh
(Sanctioned Year – 2005; Revised Year - 2010)
Lecture Hall Complex Rs 599.82 Lakh (Sanctioned Year – 2010)
33 kv HT Line Rs. 205.01 Lakh (Sanctioned Year – 2008-09)
Total – Rs 14454.01 Lakh

2- Detail about the Publicity/Advertisement for inviting tenders.

The Government of Uttarakhand vide its order no 256/XXIV(6)/2005 dated 15th March 2005 appointed Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd. as the Construction Agency and vide order no. 730/XXIV(6)/2006 dated 16th Oct, 2006 appointed M/s Consulting Engineering Services Pvt. Ltd, New Delhi the Architect Consultant for the construction of Doon University

3- Details of the Tender received. Name, Address, Contact details of the Tenderer.

No tendering process was held.

4- Details about the Rates/Estimates of each Tenderer and the details of the lowest Tenderer (Name, Address, Contact No.)

Nil

5- Name and Address of the Tenderer to whom tender has been awarded. Justification in case the awardee Tenderer is not the lowest tenderer.

The Government of Uttarakhand vide its order no 256/XXIV(6)/2005 dated 15th March 2005 appointed Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd. as Construction Agency for construction of Doon University.


Address of the Construction Agency:

Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd
Project Office, Doon University Campus
Mothrowala Road, Kedarpur, Dehradun
Ph. 0135-2532560 (Off)

6- Details of the order for construction and the terms and conditions of the contract and date of completion of the tender/work.

Copy of the MOU is attached

7- Any other relevant information.




- 1- It is understood that the ceiling cost of the project shall be decided as per the existing 'Plinth Area Rate' of Lok Nirman Vibhag of Uttarakhand Government subject to its revision from time to time here-in-after called "the Plinth Area Rates". The rates of the revision of cost as mention in G.O. No. 163/ xxvll(7)/2007 dt. 25-05-2008 will apply.
- 2- It is understood that UPRNN shall start actual construction work only after the "Client" has (1) Communicated in writing to UPRNN its Administrative and financial Sanction of the Preliminary Estimates based on the Plinth Area Rates (2) Delivered clear possession of the Land for the Project and (3) Within "THIRTY" (30) days the issue of "Letter of intent" by the Client deposited with UPRNN, sufficient advance being not less than 25% of the Estimated Cost. The UPRNN shall start the construction work within 15 days with effect from the last date of the three dates as above.
- 3- It is understood that at the time of allotment of work, flow of 'Funds' shall be mutually decided in accordance with the expected/desired progress of work (by the client). The issue of the 'Letter of Intent' to the UPRNN will be deemed as the allotment of work of the UPRNN.

4- THIRD PARTY SUPERVISION

- (a) The agreement of "Third party quality assurance" will be done between the IInd party and C.B.R.I. Roorkee and charges payable to C.B.R.I. Roorkee for "Third party quality assurance" will be born by the second party. Copy of such an agreement shall be provided to First Party with in a month.

5- PROJECT COST

- (a) It is understood that the Actual Cost will be worked Out but the total of actual cost shall not exceed the Revised Estimated Cost as per work actually executed and calculated on the Plinth Area Rates, duly updated. If the excess shall be borne from the Overheads of the UPRNN. The Final Actual Cost is less than Revised Estimated Cost, only the Final Actual Cost will be charged.
- (b) The Plinth Area Rates be applicable only when the actual specifications of each type building strictly confirm to specifications of which such Plinth Area Rates are based. In case of any deviation in



(जेड. मुजफ्फर)

specifications extra provision based on such extra item, shall be provided in Preliminary Estimates

6- TIME OF COMPLETION:

- (a) It is understood that the UPRNN shall take up the work in accordance with the priorities indicated in writing by the client and its completion will be governed by a Joint PERT/BAR showing the activities of the client and the UPRNN, which will be updated according to the constraints of either party from time to time.
- (b) The UPRNN shall build and completely finish the Project as Annexure-I unless prevented by any labour Strikes, Fire-accident, Earthquake, Mobviolence, attach from the air of any other major disturbances (force ^{measure} measure) or any other reasons beyond the control of the UPRNN. In the case of any such event, the UPRNN will obtain written permission from the client for extension of time and completely finish the Project within extended time.

The UPRNN Ltd. shall also be entitled to get compensation for Losses/extra expenditure, if any, incurred due to the damages on account of causes mentioned above, If such causes (s) were not beyond the control of the client. The decision of Vice-chancellor Uttarakhand Doon University as to whether the causes were not beyond the control to the client & as to the amount of compensation for losses/extra expenditure shall be binding on the client.

7- ACCOUNTS:

The Periodical Accounts of the UPRNN Ltd. are being audited by the statutory auditors (Chartered Accounts) The UPRNN shall submit to the Client such periodical audited accounts of the Unit, relating to the work as and when audited. The final accounts shall be submitted in the proper prescribed. The Client shall also have an access to the books of accounts of UPRNN, in case if the client deems it necessary.

8- INSPECTION OF WORK & QUALITY CONTROL:

It is understood that the client or any person authorized by it/him not below the rank of the class-I officer may inspect the construction work at any time and from time to time to satisfy itself/himself that the buildings are being constructed by the UPRNN as per drawings & specifications as provided in the Preliminary Estimate. If any defects or variation made without the written request of the client are found during the inspection, they will have to be

rectified by the UPRNN at its ^{own} cost ^{own} written notice by the client within 30 (thirty) days from its receipt. Third party quality assurance of civil construction, will be done by CBRI Roorkee.

10- COMPENSATION FOR DAMAGES:

It is understood that the UPRNN shall remain liable to and shall indemnify the client, in respect of losses, damages, or compensation arising out of any accident or injury, sustained by the client or by any workman in the employment of the UPRNN while in or upon the said works or the same arising out of any act, default or negligence, error in judgment on the part of UPRNN. Its employees or agents subject to the determination of the compensation or damages by the Competent Authority as defined in the relevant laws.

10- If construction work is not completed within the stipulated time, the penalty clause will be applicable as per G.O. No: 163/xxvll(7)/2007 dt. 22-05-2008 of Government of Uttarakhand.

11- SETTLEMENT OF DISPUTES



It is understood that any disputes or difference arising out of this Memorandum of Understanding shall be settled by the Government of Uttarakhand.

13- This agreement is subject to the order issued by the Govt. of Uttarakhand.

For and on behalf of Doon University For and on behalf of UPRNN



Registrar
Doon University
Dehradun

Witness:

1. 
2. 
30/01/16


General Manager (नि. वि. मुजफ्फर)
U.P. Rajkiya Nirman Nigam ^{राजकीय निर्माण निगम लि. उत्तरांचल}
Dehradun ^{उ.प्र.रा.नि.नि.लि. देहरादून}

Witness:

1. 
प्र.रा.नि.नि.लि. प्रबंधक
निर्माण इकाई
उ.प्र.रा.नि.नि.लि.-देहरादून
2. 

Asstt. Accounts Officer
UP Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Nirman Unit, Dehr, Dwt



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

D 423990

आधिकारी योक्त
आचार्य, देहरादून

11 MAR 2010

निर्माण किया

समझौता ज्ञापन
यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में कुलपति, दून विश्वविद्यालय केदारपुरम, देहरादून उत्तराखण्ड (ग्राहक विभाग/संगठन का नाम) के माध्यम से (जिसे यहाँ एतदपश्चात् "ग्राहक" कहा गया है) जिसके अंतर्गत जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती भी सम्मिलित हैं।

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (निर्माण एजेन्सी का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतदपश्चात् "निर्माण एजेन्सी" कहा गया है) जिसके अंतर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती तथा समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं।

के बीच

आज वर्ष 2010 के मार्च महीने की 30 तारीख को निष्पादित किया गया।

जबकि ग्राहक के प्रस्ताव पर निर्माण एजेन्सी नीचे अधिलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन निर्माण तथा सम्बन्धित कार्य, जिसे यहाँ एतदपश्चात् "परियोजना" कहा गया है, करने के लिये सहमत हो गयी है जिसकी कुल लागत प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज प्रभार तथा समस्त अन्य प्रभार सहित) रू0 599.32 (रूपये पांच करोड़ निम्नानब्बे लाख बत्तीस हजार मात्र)

1- यह सहमति हो गई है कि परियोजना की कुल लागत रू0 599.32 (रूपये पांच करोड़ निम्नानब्बे लाख बत्तीस हजार मात्र) हैं, जैसा कि शासनादेश सं0 20/XXIV(6)/2010 दिनांक 12 मार्च 2010 द्वारा जारी प्रशासनिक तथा वित्तीय सस्वीकृति में निर्दिष्ट हैं, जिसकी एक प्रति

अनुलग्नक संख्या-1 के रूप में इस समझौता ज्ञापन में संलग्नक हैं। यह भी सहमति हो गयी है कि इस लागत में निर्माण एजेन्सी को देय कुल सेन्टेज प्रभार तथा समस्त अन्य प्रभार सम्मिलित हैं। परियोजना से संबंधित सेन्टेज प्रभार समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेश संख्या 163/XXVIII(7)/2007 दि० 22.05.2008 के अनुसार शासित होंगे। उक्त आदेश की एक प्रति अनुलग्नक संख्या-2 के रूप में इस समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न हैं।

2- यह सहमति हो गई है कि प्राकृतिक आपदा के मामलों को छोड़कर परियोजना की प्रगति के विभिन्न चरणों/कार्य पूर्ण किये जाने के लिये निम्नलिखित समय सारणी होगी। विस्तृत संघटकवार समयसारणी/बारचार्ट अनुलग्नक संख्या-3 के रूप में यहाँ संलग्न हैं।

क्र० सं०	मद	दिनांक	महीनों की संख्या
1	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	16.03.2010	प्रारम्भ
2	25 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति	30.05.2010	2 1/2 माह
3	50 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति	30.08.2010	5 1/2 माह
4	75 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति	15.01.2011	10 माह
5	100 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति	15.05.2011	14 माह
6	तैयार/पूर्ण परियोजना का सौपा जाना	30.05.2011	14 माह 15 दिन

3- ग्राहक उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समय सारणी के परिपेक्ष में भौतिक प्रगति तथा पूर्व में मुक्त निधियों एवं अंतिम संवितरण की वित्तीय प्रगति के अनुसार निर्माण एजेन्सी को पर्याप्त धन (निधि) का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। निधियों (धन) को मुक्त कराने की पूर्व शर्तों के अधीन, जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है। ग्राहक मांग के 30 दिन के अन्दर निधियों मुक्त करना सुनिश्चित करेगा।

4- यदि परियोजना की प्रगति उपरोक्त पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होती है तो ग्राहक निर्माण एजेन्सी से परियोजना वापस ले सकता है और कार्य किसी अन्य एजेन्सी को आबंटित कर सकता है। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी ग्राहक अथवा ऐसी एजेन्सी जिसके लिये ग्राहक निर्देश दें, परियोजना "जहाँ हैं जैसी हैं" आधार पर निर्मित भाग और निर्माण सामग्री, औजार तथा संयंत्र, डिजाइन रेखा चित्र तथा अन्य समस्त सामग्री/अभिलेख आदि तत्काल शान्तिपूर्वक ग्राहक को लौटा देगी, ताकि निर्माण कार्य/परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी किसी प्रतिकर तथा/या दावे के, जो भी हो, हकदार नहीं होगी।

5- उपरोक्त पैरा 2,3,4 के प्रयोजन हेतु परियोजना कार्य की निर्माण स्थल पर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से कम से कम प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी और ऐसी समीक्षा का कार्यवृत्त अभिलेख "रिकार्ड" और अग्रेतर उपयोग के लिये संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी। ऐसे पुनरीक्षण (समीक्षा) की रीति ग्राहक द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

6- परियोजना और उसके विभिन्न संघटकों के प्रयोजन हेतु अधिप्राप्ति समय-समय पर लागू उत्तराखण्ड शासन की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जायेगी।

7- निर्माण एजेन्सी सृजित परिसम्पत्तियों आदि की निर्माण स्थल पर सुरक्षित रखने, उनकी सुरक्षा और परिरक्षण के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगी तथा सृजित परिसम्पत्तियों को हुई किसी हानि अथवा क्षति की निर्माण एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति करनी होगी।

- 8- निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि परियोजना में अपेक्षित भूकम्परोधी तकनीकें, डिजाइन तथा संरचनाएं अपनायी गयी हैं।
- 9- निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त/अपेक्षित वर्षा जल संचय प्रणालियां शामिल की गयी हैं।
- 10- निर्माण एजेन्सी अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित परियोजना की मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट देगी। निर्माण एजेन्सी भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट के साथ उसके पास उपलब्ध निधियों तथा प्रतिमाह अर्जित ब्याज का विवरण भी उपलब्ध कराएगी। निर्माण एजेन्सी निर्माण कार्य की प्रगति तथा उसके पास निधि की उपलब्धता के आधार पर कम से कम आगामी चार माह के लिये अपेक्षित मासिक निधि की मांग भी प्रस्तुत करेगी।
- 11- निर्माण एजेन्सी परियोजना के सम्बन्ध में एक पृथक लेखा/खाता रखेगी तथा परियोजना सौंपने से पहले उसको उपलब्ध करायी गई कुल निधियों, मदवार/कार्यवार व्यय/अर्जित कुल ब्याज तथा परियोजना लेखा के अन्तिम अवशेषों का अधिप्रमाणित विवरण प्रस्तुत करेगी। निर्माण एजेन्सी परियोजना को सौंपने से पहले ग्राहक को अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराशि लौटायेगी।
- 12- निर्माण एजेन्सी परियोजना की समस्त सामग्री तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगी। तदनुसार निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिये प्रख्यात व्यावसायियों/परामर्शदाताओं द्वारा नियतकालिक निरीक्षण सुनिश्चित करेगी तथा इन निरीक्षणों की रिपोर्ट ग्राहक को भी प्रेषित की जाएगी। गुणवत्ता के आश्वासन के लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होते हुए भी ग्राहक अथवा उसके द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी भी समय और समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति की जांच/अनुश्रवण के लिये निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा, जिसके लिए निर्माण एजेन्सी निरीक्षण दल को अपेक्षित सूचना और सहायता प्रदान करेगी। निर्माण एजेन्सी सदैव विस्तृत आकलन, रेखाचित्र, डिजाइन, जांच रिपोर्ट, गुणवत्ता तथा अनुश्रवण रिपोर्ट, सामग्री रजिस्टर/टी0 एण्ड पी0/परियोजना स्थल पर श्रमिक/अभियंत्रण कर्मचारी आदि का विवरण उपलब्ध करायेगी। यदि निर्माण कार्य के दौरान और परियोजना की समाप्ति के बाद निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि या अन्तर दिखायी दे तो निर्माण एजेन्सी द्वारा उन्हें सुधारना होगा। निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता अनुश्रवकों (मानीटर्स) की अभियुक्तियों/रिपोर्टों को सुधारने के तथा 15 दिन के अन्दर अनुपालन के लिये भी बाध्यकारी होगी। यदि निर्माण एजेन्सी त्रुटियों/अन्तर को सुधारने में असफल रहती हैं और या त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती रहती हैं और त्रुटियों गम्भीर प्रकृति की हैं, तो ग्राहक खण्ड 4 के उपबन्धों के अनुसार कार्य/परियोजना वापस ले सकता है।
- यदि निर्माण एजेन्सी द्वारा त्रुटियों सुधारी नहीं जाती और/या कार्य निर्माण एजेन्सी से वापस लिया जाता है तो ग्राहक निर्माण एजेन्सी से समुचित हरजाना वसूल कर सकता है। यदि निर्माण कार्य के दौरान अथवा निर्माण कार्य की समाप्ति के पश्चात् गम्भीर त्रुटियाँ ग्राहक विभाग के संज्ञान में आती हैं तो निर्माण एजेन्सी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मामले की जांच संस्थित करेगी और दो माह के भीतर दोषी अधिकारियों/पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगी।
- 13- त्रुटियों के लिये दायिता अवधि ग्राहक को परियोजना सौंपने की तारीख से 1 वर्ष होगी। निर्माण एजेन्सी ग्राहक द्वारा समय-समय पर सूचित किये जाने वाली त्रुटियाँ अपने खर्च पर ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर सुधारेगी। ग्राहक निर्माण अवधि के दौरान भी त्रुटियाँ सूचित कर

सकता हैं जिसके लिए त्रुटियों को सुधारने की अवधि वह होगी जो ग्राहक द्वारा अपने रिपोर्ट में अथवा अन्यथा निर्दिष्ट की जाए।

14- समझौता ज्ञापन में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन/निर्माण में विलम्ब की दशा में इस परियोजना पर उपरोक्त दिनांक 22.05.2008 के शासनादेश के निम्न प्राविधान लागू होंगे।

i. चूंकि परियोजना के पूर्ण करने की अवधि केवल 18 अक्टूबर माह हैं, इसलिए लागत के पुनरीक्षण की अनुमति बिलकुल नहीं दी जायेगी।

ii. उपरोक्त कार्य पैरा 2 में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सी को देय प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज प्रभार) से की जायेगी।

15- भवन/परियोजना ग्राहक के प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपी जाएगी। निर्माण एजेन्सी परियोजना सौंपने के समय या उससे पहले ग्राहक को अधिप्रमाणित तथा सम्यक रूप से अनुमोदित विस्तृत आकलन जिसमें पुनरीक्षित आकलन, यदि कोई हो, भी शामिल हैं, समस्त रेखाचित्र, डिजाइन, भवन/परियोजना में प्रदान की गई सेवा के रेखाचित्र उपलब्ध करायेगी।

16- ग्राहक/उक्त कार्य में अथवा कार्यों पर निर्माण एजेन्सी के नियोजन में श्रमिक/अन्य व्यक्ति को दुर्घटना अथवा चोट लगने के कारण अथवा निर्माण एजेन्सी, उसके कर्मचारियों अथवा एजेन्ट (एजेंटों) के किसी कार्य, त्रुटि अथवा असावधानी, भूलचूक, गलत निर्णय के कारण हुई हानि, क्षति अथवा प्रतिकर के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर अथवा क्षति के लिये, जैसा कि संगत विधियों में परिभाषित किया जाए, निर्माण एजेन्सी दायी होगी तथा उसे ग्राहक की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

निर्माण में त्रुटियों के लिए भी निर्माण एजेन्सी दायी रहेगी और निर्माण में ऐसी त्रुटियों के कारण हुई क्षति की पूर्ति करेगी।

17- यदि कोई विवाद होता है तो उसे विवाद निवारण समिति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे निवारण किया जायेगा:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राहक विभाग।
2. विभाग जिसके प्रशासनाधीन निर्माण एजेन्सी है उस विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव।
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि।
4. नियोजन विभाग का प्रतिनिधि।

समिति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।


Registrar
DOON UNIVERSITY
Dehra Dun (INDIA)


Project Manager
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Nirman Unit, Dehradun

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई।

ग्राहक के लिए और उसकी ओर से

निर्माण एजेन्सी के लिए और उसकी ओर से

नाम

नाम

**Project Manager
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Nirman Unit, Dehradun**

पदनाम

**Registrar
DOON UNIVERSITY
Dehra Dun (INDIA)**

पदनाम

साक्षी

साक्षी

1.

30/3/10

1.

**शमशेर सिंह
स्थानिक अभियंता (सिं)
उ० प्र० रा० नि० वि० लि०
निर्माण इकाई, देहरादून**

2.

**Finance Controller
Doon University**

2.

**सहायक लेखा अधिकारी
उ० प्र० रा० निर्माण निगम लि०**